2013/00015

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प सिवाना

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 24/2013

अपीलांट — **बनाम्** — **रेस्पोडेंट्स**

हुकमसिंह पुत्र सतीदानसिंह
जाति राजपूत निवासी थापन
तहसील,सिवाना

बनाम्

1.राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार,सिवाना
2.छगनकंवर बेवा भीमसिंह
जाति राजपूत निवासी थापन
3.जड़ावकंवर पुत्री भीमसिंह
पत्नि छैलसिंह जाति राजपूत
निवासी धीरा
4.सोहनकंवर पुत्री भीमसिंह
पत्नि कुन्दनसिंह जाति राजपूत
निवासी देवन्दी तहसील
सिवाना

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 08.08.2013 जो तहसीलदार सिवाना द्वारा ग्राम थापन के नामान्तरकरण संख्या 1105 पर पारित किया गया।

उपस्थितिः– 1. अपीलांट एंव अधिवक्ता उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 01 उपस्थित
3. रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 उपस्थित। अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 14.06.2016

1. अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, सिवाना द्वारा ग्राम थापन के नामान्तरकरण संख्या 1105 पर पारित आदेश दिनांक 08.08.2013 के विरूद्ध धारा 75 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है
2. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्सया 02 व 03 छगनकंवर बेवा भीमसिंह एंव जडावकंवर पुत्री भीमसिंह ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिवाना के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा थापन के खेत खसरा नम्बर 710 रकबा 8 बीघा एंव खसरा नम्बर 731 रकबा 16.03 बीघा कुल 24.03 बीघा आया हुआ है,जो सतीदानसिंह की खातेदारी में है। सतीदानसिंह के एक पुत्र भीमसिंह थे तथा भीमसिंह की दो पुत्रिया जडाव कंवर एंव सोहनकंवर है सतीदानसिंह ने हुकमसिंह पुत्र

जिला कलक्टर
बाडमेर

हीरसिंह को कभी गोद नहीं लिया और न ही भीमसिंह ने लिया। वादीनीयां–अप्रार्थीगण की अयोग्यता का फायदा उठाकर प्रतिवादी–अपीलांट हुकमसिंह पुत्र हीरसिंह ने पटवारी हल्का से मिलावट कर स्वंय को सतीदानसिंह का गोद पुत्र बताकर फौतगी का नामान्तरकरण में अपना नाम डलवा दिया जबकि रेस्पोडेंट संख्या 02 छगनकंवर भीमसिंह की पत्नि है एंव जड़ाव कंवर भीमसिंह की जायंदा पुत्री है। इसलिये इन्हे विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए। इस पर सहायक कलक्टर (एसडीओ)सिवाना ने प्रकरण संख्या 76/11 दर्ज कर बाद जॉचं एंव सुनवाई निर्णय दिनांक 12.06.2013 द्वारा वादीनी–रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का काश्तकार घोषित किया गया। इस निर्णय की पालना में पटवारी हल्का थापन ने दिनांक 22.07.2013 को रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 के नाम नामान्तरकरण संख्या 1105 भरकर तहसीलदार,सिवाना के समक्ष पेश किया। तहसीलदार सिवाना ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.0.8.2013 द्वारा स्वीकृत कर दिया। अपीलांट का यह कथन है वादग्रस्त भूमि के खातेदार सतीदानसिंह के कोई जीवित सन्तान नहीं थी सतीदानसिंह ने हुकमसिंह पुत्र हीरसिंह को 1980 में गोद लिया था और उसी आधार पर सतीदानजी का विधिक वारिस होने से अपीलांट का गोद पुत्र सतीदानजी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। अपीलांट ने इस निर्णय एंव डिक्री को गलत बताते हुए इस आधार पर पारित नामान्तरकरण संख्या 1105 को निरस्त करन हेतु निवेदन किया है।

3. हमने अपील अपीलांट दर्ज.रजिस्टर कर,रेस्पोडेंटस को सम्मन किये एंव अपीलाधीन रिकॉर्ड तलब किया।

4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट सिवाना में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। अपीलांट मय अधिवक्ता उपस्थित रहे। रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 उपस्थित रहे, अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।

5. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। अपीलाधीन नामानतरकरण संख्या 1105 एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम थापन के खेत खसरा नम्बर 710 रकबा 08 बीघा एंव खसरा संख्या 731 रकबा 16.03 बीघा कुल रकबा 24.03 बीघा सतीदानजी की खातेदारी की थी। रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 ने उक्त खसरान की भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिवाना के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 76/11 पेश किया। सहायक कलक्टर(एसडीओ) सिवाना

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाडमेर

ने खसरा नम्बर 710 रकबा 8 बीघा व खसरा नम्बर 731 रकबा 16.03 बीघा कुल 24.03 बीघा में वादीनी–रेंस्पोडेंट संख्या 02 व 03 को खातेदार घोषित करते हुए निर्णय एंव डिक्री दिनांक 12.06.2013 पारित की हैं, जिसके फलस्वरूप अपीलाधीन नामानतरकरण 1105 दिनांक 08.08.2013 पारित किया गया है। इस अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने हेतु अपीलांट हुकमसिंह ने धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की हैं और इसी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 710 रकबा 8 बीघा व खसरा नम्बर 731 रकबा 16.03 के सम्बन्ध में सहायक कलक्टर(एसडीओ) सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 76/11 में पारित निर्णय एंव डिक्री के विरूद्व अपीलांट हुकमसिंह ने राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में अपील संख्या 91/2013 पेश की है। जिसमें राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर निर्णय दिनांक 22.01.2016 द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार कर सहायक कलक्टर सिवाना के निर्णय दिनांक 12.06.2013 को अपास्त कर मामला प्रति–प्रेषित किया गया है, जो विचाराधीन होना बताया है। इसी खसरान की भूमि के सम्बन्ध में पारित नामान्तरकरण के विरूद्व अपीलाट ने इस न्यायालय में अपील पेश कर अनुतोष चाहा है। अपीलांट की यह कार्यवाही दोहरी एंव कानून की मंशा के विपरित है। कानूनन दोनो कार्यवाही समानान्तरण नहीं चल सकती। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि नामान्तरकरण सम्बन्धी कार्यवाही एक समरी प्रोसीडींग हैं, जिसमें यह तय किया जाता है कि विवादित भूमि का लगान किससे लिया जाए। नामान्तरकरण विवादित भूमि में कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती है। नामान्तरकरण संक्षिप्त कार्यवाही में वसीयत,गोद अथवा उतराधिकार आदि के जटिल विवादों का विनिश्चय संभव नहीं होता है। पक्षकारों को अपने हक व स्वामित्व को स्थापित करने के लिये सक्षम न्यायालय में चारा जोही करनी चाहिये और अपीलांट का वाद सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.) सिवाना के न्यायालय में विचाराधीन है। अगर विवादित भूमि में अपीलांट का कोई हक या अधिकार बनेगा तो दावा में ही तय हो जावेगा। इस मामले में पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मामला दावा के रूप में विचाराधीन है एंव दावा में होने वाला निर्णय पक्षकारो के मध्य अधिकारों बाबत निर्णय होगा। मामले में हालात को देखते हुए हमे यह उचित प्रतीत होता है कि जब तक सहायक कलक्टर(एसडीओ) सिवाना के न्यायालय में विचाराधीन दावा का निर्णय नहीं हो जाता तब तक राजस्व रेकर्ड में वर्तमान इन्द्राज परिवर्तन सम्बन्धी कोई आदेश पारित करना उचित नहीं है। उचित यही होगा कि दोंनो ही पक्ष विवादग्रस्त भूमि एंव उससे सम्बन्धित राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति आज है,उसे सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाडमेर

सिवाना में विचाराधीन दावा के निर्णय तक बनाये रखें। इसी दावा में होने वाला निर्णय पक्षकारान के मध्य अधिकारों बाबात निर्णय होगा एंव उस निर्णयानुसार ही रिकॉर्ड में इन्द्राज किये जावेगें। उपरोक्त अपील इसी अनुसार निर्णित की जाती है।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प सिवाना में आज दिनांक 14.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर